कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 11 / 2026

मिथलेश पत्नि पवन कुमार निवासी नदिया मोहल्ला, चावला प्रेस के पास वाली गली में, जाटव बस्ती भरतपुर राज0 मो. नं. 8764162589

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर ...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.02.2026**

अपीलार्थी मिथलेश पत्नि पवन कुमार निवासी नदिया मोहल्ला, चावला प्रेस के पास वाली गली में, जाटव बस्ती भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील सं0 060286943233939 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 26 / 98 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर से पत्र क्रमांक कोष / आरटीआई / 2026 / 131 दिनांक 26.02.2026 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कोषालय को पूर्व में प्राप्त नहीं होने पर अपील का नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीया मिथलेश को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक कोष / आरटीआई / 2026 / 130 दिनांक 24.02.2026 से चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील/आरटीआई/11/2026
मिथलेश बनाम कोषाधिकारी भरतपुर

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थी को इस कार्यालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निश्चित समय सीमा का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर द्वारा निर्धारित समय सीमा के पश्चात सूचना उपलब्ध कराई गई है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर को भविष्य में तय समय सीमा में ही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु हिदायत दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर को भेजकर हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समय सीमा में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर